अनिकेत स्वामी
7877858372
20.4.2023, 3:50 बजे (लेटर)

25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री अनिकेत स्वामी पुत्र श्री सत्यप्रकाश स्वामी जाति स्वामी, निवासी– वैदजी की ढ़ाणी, तन रूपपुरा पोस्ट उदलवास, तह. श्रीमाधोपुर सीकर मैसर्स– दूर्गा प्रोडक्त एण्ड सर्विसेज, वैदजी की ढ़ाणी, रूपपुरा सीकर 332729, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.02.2022 को समय 2:00 पी.एम. पर वैदजी की ढ़ाणी, तन रूपपुरा पोस्ट उदलवास, पर निरीक्षण के लिए मैसर्स– दूर्गा प्रोडक्ट एण्ड सर्विसेज, वैदजी की ढ़ाणी, तन रूपपुरा सीकर पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स– दूर्गा प्रोडक्ट एण्ड सर्विसेज, में अप्रार्थी श्री अनिकेत स्वामी घी बनाकर विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। अनिकेत स्वामी से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 होना बताया व दिखाया।

फर्म पर अनिकेत स्वामी द्वारा घी का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 10 कि.ग्रा. घी के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच, घी 800 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 400 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2728 खाद्य पदार्थ घी का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक घी** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को 41,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
नीमकाथाना सीकर

अनिल कुमार
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना